वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

प्रबंध मंडल की 112 वीं बैठक, दिनांक 5 मई, 2025

कार्यवाही विवरण

प्रबंध मण्डल की 112वीं बैठक दिनांक 05 मई , 2025 को प्रातः 10.00 बजे विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1. प्रो0 कैलाश सोडाणी कुलपति, वर्धमान महावीर खुला वि0वि0,कोटा।	अध्यक्ष
2. प्रो0 जे0पी0 शर्मा पूर्व कुलपति, सुखाडिया वि0वि0,उदयपुर।	सदस्य
3. प्रो0 सुमिता कच्छावा आचार्य, वनस्पति विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर।	सदस्य
4. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत संभागीय आयुक्त, कोटा। (प्रतिनिधि. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग,राज0सरकार)	सदस्य
5. प्रो0 नवल किशोर इंदिरा गांधी रा0मु0 वि0वि0, नई दिल्ली।	सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)
6. प्रो0 बी0 अरूण कुमार निदेशक, योजना विकास एवं संकाय वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
7. प्रो0 सुबोध कुमार , आचार्य (पत्रकारिता) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
8. डॉ0 मुकेश कुमार शर्मा संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग। (प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, उ.शिक्षा विभाग राज0सरकार)	सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)
9. डॉ0 श्रीमती रश्मि बोहरा निदेशक, क्षे.के.,वमखुविवि, उदयपुर।	सदस्य
10. श्री महेश चंद मीना नियंत्रक (वित्त.) व0म0खु0वि0वि,कोटा।	विशेष आमंत्रित (ऑन लाईन उपस्थित)
11. श्रीमती सरिता कुलसचिव, वमखुविवि,कोटा।	सचिव

112/01 प्रबंध मंडल की 110 बैठक दिनांक 08 अगस्त, 2024 एवं 111वीं बैठक दिनांक 01 अप्रेल, 2025 के कार्यवाही विवरण एवं की गई अनुपालना की पुष्टि का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल की 110वीं एवं 111वीं बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। 110वीं बैठक के अनुपालना प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान सदस्य प्रो0 सुबोध कुमार द्वारा निर्णय संख्या 110/04 में अतिरिक्त कुलसचिव का पद सृजित/क्रमोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा प्रारंभ की गई। चर्चा के दौरान सदन को अवगत करवाया गया कि उप कुलसचिव के एक पद को क्रमोन्नत कर अतिरिक्त कुलसचिव का पद सृजित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जा चुका है, इस जानकारी के बाद सदन द्वारा निर्णय किया कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को प्रेषित पत्र का उत्तर प्राप्त होने के बाद इस पर निर्णय किया जाए। बैठक में ऑनलाईन उपस्थित संयुक्त सचिव, (ग्रुप–4) उच्च शिक्षा से अनुरोध किया गया कि इस अतिरिक्त कुलसचिव के पद को क्रमोन्नत किए जाने सम्बन्धी विश्वविद्यालय के पत्र का जवाब शीघ्र भिजवावें। तदुपदरांत प्रबंध मंडल की 110वीं एवं 111वीं बैठकों की अनुपालनाओं पर संतोष व्यक्त किया गया।

112/02 विद्या परिषद की 71 वीं बैठक दिनांक 30 नवंबर, 2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विद्या परिषद की 71वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया साथ ही सत्रहवें दीक्षांत समारोह सम्बन्धी निर्णय संख्या 71/08 के तहत किए गए ग्रेस पास को विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के चैप्टर 04 के प्रावधान संख्या 08 के उप बिंदु 18 में माननीय कुलपति महोदय द्वारा लिए गए निर्णय को भी प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

112/03 वित्त समिति की 69वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2025 के कार्यवाही विवरण एवं वित्तिय वर्ष 2024–25 के संशोधित आय–व्यय अनुमान तथा वित्तिय वर्ष 2025–26 के लिए आय/प्राप्तियों तथा व्यय के अनुमानों के अनुमोदन का प्रस्ताव।

वित्त समिति की 69वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2025 का कार्यवाही विवरण पर चर्चा के दौरान नियंत्रक वित्त द्वारा राज्य के वित्त (वित्त नियम) विभाग के आदेश संख्या प. 1(8)वित्त/साविलेनि/98 पार्ट दिनांक 06.03.2025 की प्रति प्रस्तुत करते हुए इसके संदर्भ में वित्त समिति के निर्णय संख्या 69/13 जिसमें विभिन्न कार्यो को करवाने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित सभी प्रकरणों के सम्बन्ध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें सदन को बताया गया कि राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 1(8)वित्त/साविलेनि/98 पार्ट दिनांक 06.03.2025 के बिंदु संख्या (बी) पर राज्य में स्थित व राज्य सरकार के अधीन अथवा नियंत्रित अधिसूचित एजेंसीज से कार्य करवाने हेतु विभागाध्यक्ष को पूर्ण वित्तीय अधिकार दिए गए है। सदन द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(8)वित्त/साविलेनि/98 पार्ट दिनांक 06.03.2025 के तहत विश्वविद्यालय में कार्य करवाए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए भविष्य में भी इसी आदेश के अनुसार कार्य किए जाने का निर्णय किया गया।

उक्त निर्णय उपरांत वित्त समिति की 69 वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2025 के कार्यवाही विवरण एवं बजट पारित किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के चैप्टर 04 के प्रावधान संख्या 08 के उप बिंदु 18 के तहत माननीय कुलपति महोदय द्वारा लिए गए निर्णय को भी प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

112/04 शिक्षकों एवं निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को सी0ए0एस0 के पदौन्नति प्रदान किए जाने से सम्बन्धित चयन समितियों की अनुशंसाऐं निर्णयार्थ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान डॉ0 रश्मि बोहरा अभ्यर्थिनी होने के कारण सदन से बाहर रही। चर्चा प्रारंभ करते हुए वित्त विभाग राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी द्वारा नियमों की जानकारी चाही गई जिस पर सदन को नियमों की जानकारी एवं इसके तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत करवाया गया तत्पश्चात् सदन के पटल पर प्रस्तुत चयन समितियों की अनुशसांओं को खोला गया, जिसमें पदौन्नति/वेतनमान के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनुशंसाऐं की गई :–

(अ) दिनांक 04 अप्रेल , 2025 को आयोजित स्क्रीनिंग कम इवल्यूवेशन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में निम्नलिखित शिक्षकों को यू0जी0सी0 रेग्युलेशन 2018 के तहत एकेडेमिक लेवल–11 से एकेडेमिक लेवल– 12 में उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से पदोन्नति स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की गई है:–

1. डॉ0 एस0 के0 कुलश्रेष्ठ, सहा0 आचार्य, (अर्थशास्त्र) को दिनांक 02.10.2023 से।
2. डॉ0 रवि गुप्ता, सहा0 आचार्य,(गणित) को दिनांक 09.01.2024 से।
3. डॉ0 नीरज अरोड़ा, सहा0 आचार्य,(कम्पयूटर विज्ञान) को दिनांक 24.01.2025 से।

(ब) शिक्षकों को यू0जी0सी0 रेग्युलेशन 2018 के तहत केरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत सह आचार्य से आचार्य पद पर पदौन्नत करने के लिए दिनांक 04 मई, 2025 को आयोजित चयन समिति की बैठक में निम्नलिखित शिक्षकों को सह आचार्य से आचार्य के पद पर Professor Scale AL-14 में पदौन्नत किए जाने की अनुशंसा की गई:–

1. डॉ0 क्षमता चौधरी, अंग्रेजी
2. डॉ0 अनुराधा दुबे, वनस्पति शास्त्र
3. डॉ0 कीर्ति सिंह, शिक्षा
4. डॉ0 अनुरोध गोधा, वाणिज्य

(स) निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को Associate Professor Scale AL-13 A से पदनाम वही रखते हुए Professor Scale AL-14 का वेतनमान प्रदान किए जाने के लिए दिनांक 03 मई 2025 को आयोजित चयन समिति की बैठक में निम्नलिखित निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रोफेसर स्केल में वेतनमान दिए जाने की अनुशंसा की गई:–

1. डॉ0 जे0के0 शर्मा
2. डॉ0 रश्मि बोहरा
3. डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा
4. डॉ0 अरविन्द्र पारीक
5. डॉ0 सुभाष चंद्रा

प्रबंध मंडल द्वारा उक्त चयन समितियों की अनुशंसाओं का अवलोकन करते हुए तदनुसार परिलाभ एवं पदौन्नति स्वीकृत किए जाने का निर्णय किया गया।

112/05 विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति नियुक्त करने के सम्बन्ध में राजभवन से प्राप्त निर्देश की पालना में प्रति कुलपति नियुक्ति हेतु विचार विमर्श।

सदन द्वारा समकुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में राजभवन के पत्र पर विचार विमर्श उपरांत निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय में प्रारंभ से ही समकुलपति की नियुक्ति नहीं की गई है। अतः विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली के अनुरूप प्रति कुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में न्यूनतम मानदण्डों के निर्धारण के लिए समिति गठित किए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

112/06 विश्वविद्यालय में सहायक उत्पादन अधिकारी का एक पद राज्य सरकार द्वारा समाप्त किए जाने के संबंध में प्रस्ताव अवलोकनार्थ।

सहायक उत्पादन अधिकारी के पद को राज्य सरकार द्वारा समाप्त किए जाने के निर्णय की पुष्टि करते हुए आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश प्रदान किए गए।

112/07 प्रबंध मंडल की सदस्या डा0 रश्मि बोहरा को वित्त समिति का सदस्य मनोनीत किए जाने संबंधी आदेश संख्या 43 दिनांक 19 फरवरी 2025 की पुष्टि किए जाने का प्रस्ताव।

डा0 रश्मि बोहरा को वित्त समिति का सदस्य मनोनीत किए जाने संबंधी आदेश संख्या 43 दिनांक 19 फरवरी 2025 की पुष्टि की गई।

112/08 विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान सम्बन्धी विकल्प पत्र के निर्णय के क्रम में प्रस्ताव।

विकल्प परिर्वतन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरांत सदन द्वारा निर्णय किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय,जयपुर में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विश्वविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया जाए।

112/09 निदेशालय निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदन वर्ष 1994–95 के अनुच्छेद 36 में वसूली योग्य कुल राशि रू0 43704/– में से शेष रही राशि रू0 8377/– को अपलेखित किए जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विचार के दौरान सदन को अवगत करवाया गया कि निदेशालय, निरीक्षण विभाग के विशेष जॉच प्रतिवेदन वर्ष 1994–95 में अनुच्छेद सं. 36 में अनावश्यक मानदेय राशि रू. 43,704/–(तियालीस हजार सात सौ चार मात्र) में से राशि रू. 35,367/–(पैंतीस हजार तीन सौ सडसठ मात्र) की वसूली कर ली गयी है तथा निम्न 03 कार्मिकों से वसूली के कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण वसूली सम्भव नहीं हो सकी है जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :–

1. डॉ. के.के राय जो कि विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव पद से सेवानिवृत हुए थे, तथा जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में राशि रू. 3449/–(तीन हजार चार सौ उनचास मात्र) की वसूली हेतु विश्वविद्यालय के पास कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं है।
2. श्री डी.एस. कोचर जोकि विश्वविद्यालय में राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर वित्त नियंत्रक के पद से राज्य सरकार से सेवानिवृत हुए थे तथा जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त

अधिकारी को दिये गये मानदेय राशि रू. 4346/– (चार हजार तीन सौ छियालीस मात्र) की वसूली हेतु विभवविद्यालय के पास कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं है।

3. श्री पी.बी.सक्सैना जोकि विश्वविद्यालय में राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर सॉख्यिकी सहायक पद से सेवानिवृत हुए थे। वर्तमान में राशि रू. 542/–(पॉच सौ बयालीस मात्र) की वसूली हेतु विश्वविद्यालय के पास इनके सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा वसूली सम्भव नहीं होने को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त तीन कार्मिकों को भुगतान की गयी कुल मानदेय राशि रू.8,337/–(आठ हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) को अपलेखित किए जाने का निर्णय किया गया, ताकि आक्षेप का निस्तारण हो सके।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
एवं सचिव, प्रबंध मंडल